डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-**149** New Delhi: 11.07.2017

Sh. Griraj Singh,
Village Nagla Gogul,
Bharan, Tehsil Etmadpur,
Distt. Agra
U.P-283202

ED556033547IN

Dear Applicant,

Sub: **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।**
Providing information under the RTI Act 2005

Ref: Original application dt. nil received on 03.07.2017 from Shri Griraj Singh R/O Agra, U.P through Agra office

The Information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

क्0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	गाटा सं0 1216, 1217 की भूमि का अधिग्रहण किस गजट से हुआ उस गजट की आपके विभाग से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उपरोक्त गाटा सं0 1216 व 1217 में 02 बार भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दोनो गजट की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त गाटों की भूमि आबादी है।
2	उपरोक्त परियोजना द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है तो अधिग्रहण से पूर्व का नक्शा समस्त अधिग्रहण की गाटा संख्याओं से किस गाटा संख्या से किस स्थान की भूमि तथा किस व्यक्ति की भूमि और उस गाटा संख्या से उस व्यक्ति की भूमि से कितनी भूमि से कितनी भूमि अधिग्रहण की गयी एवं उस भूमि का मुआवजा कितना दिया गया, किस सर्किल रेट के अनुसार।	कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा के द्वारा दो बार में अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय घोषित कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
3	उक्त गाटा संख्याओ की भूमि का रकवा कितना अधिग्रहण कर लिया गया है।	गजट की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें उपरोक्त गाटों की अर्जित भूमि का विवरण है।
4	अधिग्रहण के बाद के नक्षा जिसके अन्तर्गत कितना–कितना रकवा लिया गया है उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	गजट की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें उपरोक्त गाटों की अर्जित भूमि का विवरण है। नक्शा भी संलग्न है।
5	ऐसी क्या वजह है कि उपरोक्त............. का अधिग्रहण की धनराषि प्रार्थनीय को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी है नियम साक्ष्य सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है।
6	यह कि अधिग्रहण की धनराषि प्रार्थनीय को अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हो पायी है।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है।

7	मुआवजा सम्बन्धी तहसील से लेकर भारतीय रेलवे की परियोजना के अधिकारियों जिसमें अधिग्रहण की भूमि का मुआवजा सम्बन्धी समय–समय पर कार्यवाही कर मुआवजा दिलवाते रहे हैं सभी अधिकारियों का एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं उनकी जाति व विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार का पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराने की कृपा करें।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है।
9	अधिग्रहण के समय अधिग्रहण की गयी भूमि के मुआवजा हेतु सभी को नोटिस दिये गये, लेकिन हम प्रार्थनी से पैसे न देने कारण हमको नोटिस देकर हमारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया जबकि हम विधवा गरीब एवं मजदूर वर्ग के अषिक्षित महिला के साथ भेदभाव रखते हुए एवं घूस न देने के कारण हम प्रार्थीगणों का नाम उक्त गाटा संख्या में और हम प्रार्थनी ने इस सम्बन्ध में समय–समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्या बताकर अधिग्रहण से सम्बन्धित मुआवजे की मांग करते रहे लेकिन हमारी अषिक्षता का नाजायज फायदा उठाते उुए समस्त विभागों ने हमारे दिये गये प्रार्थना पत्रों पर रिसीविगं न उपलब्ध कराते हुए हमको मुआवजा नही उपलब्ध कराया और हमारे द्वारा दी गयी प्रमाणित षिकायती पत्र का कोई जबाब प्राप्त नही कराया इसमें आपके विभाग के अर्न्तगत प्रार्थनी के कितने प्रार्थना पत्र आपके विभाग को प्राप्त हुए जिसमें आपने उन प्रार्थना पत्रों पर क्या संज्ञान लिया और उन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से प्रार्थनी को धनराषि क्यों उपलब्ध नहीं कराया इसका स्पष्टीकरण लेते हुए आपके विभाग में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि उस पर नियमानुसार क्या कार्यवाही की गयी और उन नियमों का जिनके अर्न्तगत कार्यवाही की गयी उन नियमों की पत्रावली भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा के द्वारा की जाती है। जिसकी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
10	उपरोक्त के सम्बन्ध में उन अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध कराये जिसकी वजह से गाटा सं0 1216 व 1217 की धनराषि रोकी गयी है। ता0 13.01.2015 का संलग्न है।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है। जिसकी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध, नही है।
11	प्रार्थनी सावित्री के पति की मृत्यू के बाद उपरोक्त गाटा सेख्या 1216,1217 भूमि व मकान का मुआवजा सावित्री देवी व सह हिस्सेदार सावित्री देवी के पुत्रगण को मुआवजा अलग–2 दिया जाना चाहिए लेकिन रेलवे जॉच कर्मचारी व अधिकारियों गलत व चार सौ बीसी कर हमें विधवा महिला की गरीव परिवार स्वयं स्वार्थ की वजह से ऐसा किया गया है। सह हिस्सेदार सावित्री देवी स्वयं मकान व अपने पुत्रों के तीनों परिवार सहित मकान में निवास कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का मुआवजा राहत कोष भी हम लोगों को अलग–2 दिया गया है। हम सह हिस्सेदारों को हमारे परिवार छति अत्यधिक मात्रा में हुई है। हम अषिक्षत व कम जानकारी हैं जब हम मौखिक उपस्थित हुए रेल परियोजना ने हमारी कोई बात नहीं सुनी व कोई सूचना (जबाब) उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में प्रतिदिन की कार्यवाही एवं जो कार्यवाही अमल में लायी गयी है उसकी प्रमाणित छायाप्रति एवं उन लोक सेवकों के नाम व पदनाम जिन नियमों के साथ कार्यवाही की गयी है उन नियमों की नियमावली की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा तहसील से प्राप्त हिस्सा प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है।

12	आपके कार्यालय में जिस दिनाकों में आवेदन पत्र प्रार्थनी को प्राप्त हुए हैं उन आवेदन पत्रों के निस्तारण की निर्धारित समयावधि सुसंगत नियम सहित बताने का कष्ट करें।	इस कार्यालय में प्राप्त 03 आवेदनों पत्रों दिनांक 26.04.2017, 29.05.2017 व 30.05.2017 को प्राप्त हुए जिनके निस्तारण की कार्यवाही कर सूचना डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।
13	उपरोक्त के सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन दोषी अधिकारियों के नाम व पद बताने का कष्ट करें और उपरोक्त आचरण नियमावली का उल्लंघन करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी साक्ष्य सहित बताये और कार्यवाही न होने की दशा में कारण नियम सहित स्पष्ट किये जाने का प्रमाण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
14	पूर्व में दिये गये समस्त आवेदन पत्रों पर किस स्तर के अधिकारियों के पास किस–किस तिथि से किन बिन्दुओं पर किन नियमों के अधीन लम्बित रहा उसका कारण स्पष्ट साक्ष्य सहित दें।	इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनो पत्रों का निस्तारण प्रक्रिया के तहत किये जा रहे है।
15	यह कि उपरोक्त गाटा सं0 की भूमि का अधिग्रहण की धनराषि वर्तमान समय में कहॉ है और किन नियमो के अर्न्तगत है। स्पष्ट कर साक्ष्य उपलब्ध करायें।	प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है।
16	यह कि उक्त गाटा सं0 1217 की भूमि का क्षेत्रफल उक्त के द्वारा अधिग्रहण किया गया है एवं अधिग्रहण की गयी भूमि का वाजिव मूल्य क्या है और उपरोक्त द्वारा दी गयी भूमि का मुआवजा धनराषि क्या है।	अभिनिर्णय की छायाप्रति जिसमें भूमि व मकानों के प्रतिकर की दर का निर्धारण भी किया गया है, कि छायाप्रति संलग्न है।
17	यह कि उक्त भूमि के मुआवजा सम्बन्धी अभिलेख किन–किन अधिकारियों के पास रिकॉर्ड रहता है एवं उन सभी विभागों के पत्राचार का पता उपलब्ध करायें, जिनके सम्बन्ध में भूमि का मुआवजा दिलवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा एवं केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण करने के लिये तैनात किये गये अधिकारियों का विवरण।	प्रतिकर सम्बंधित अभिलेख कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के यहॉ उपलब्ध है।
18	यह कि उपरोक्त भूमि मकान, मुआवजा सम्बन्धी अभिलेख किन–किन अधिकारियों के पास किस कारण से रोका गया है उसका स्पष्ट कारण सहित प्रमाणित उपलब्ध कराने की कृपा करें।	उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय से सम्बंधित नही है।
19	यह कि रेलवे द्वारा आवेदिका की अधिग्रहण की भूमि का मुआवजा देते हुए अब तक क्या धनराषि दी गई, और क्या दी गई जो धनराषि दी गई है। इस राहत को किस–किस की है। और एक ही चैक से क्यों मकान व भूमि की बेलूएषन जॉच प्रमाणित रिपोर्ट किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तय की गयी उन अधिकारियों को विधवा प्रार्थनी घूस न देने पर प्रार्थनी का मुआवजा नहीं दिया गया है। अन्य जो नगला गोकुल के लोग जिनकी भूमि एवं मकान अधिग्रहण किया गया है उनका मुआवजा प्रार्थनी के मुआवजे से अधि क्यों ? प्रथम अपीलीय जन सूचना अधिकारी व द्वितीय जन सूचना अधिकारी नाम व पद नाम व पत्राचार का पूर्ण पता व पिन कोड सहित ? प्रार्थनी की भूमि अधिग्रहण से अब तक भूमि अधिग्रहण सर्किल रेट	डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना के निर्माण हेतु जिला आगरा तहसील एतमदपुर के अर्न्तगत अधिग्रहीत भूमि की दर का निर्धारण एवं मकान एवं भूमि के प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन आगरा के द्वारा की जाती है।

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर

	क्या–2 रहे हैं तब से लेकर अब तक के सरकार द्वारा तय किये गये सर्किल रेट की जी0ओ0 प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें। नगला गोकुल के कितने लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है उनके मुआवजे की चैक रिकॉर्ड की छायाप्रति उपलब्ध करायें प्रमाणित। और नगला गोकुल के कितने लोग शेष रह गये हैं मुआवजे के लिये और क्यो क्या शेष लोगों को मुआवजा आज के समय की सर्किल रेट के अनुसार दिया जायेगा तो कब नहीं दिया जायेगा तो क्यों नहीं नगला गोकुल के कितने लोगों की मकान भूमि का अधिग्रहण किया गया है कितने गाटा सं0 द्वारा कितने–2 भूमि व मकान का और उन सब गाटा सं0 में कितने भूमि व कितने मकानों का किस–2 समय की किस–2 सर्किल रेट के आधार पर किन नियमों के आधार पर किन–2 अधिकारियों कर्मचारियों मकानों की बेलुएषन भूमि की बेलुएषन जॉच रिपोर्ट तैयार की गई है जो सभी लोगों की जॉच रिपोर्ट तैयार नगला गोकुल की गई है उनकी प्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध करायें।	

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: **श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंज़िल, नई दिल्ली–110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।**

संलग्नक : यथोक्त

cc to CPM Agra

11/07/17

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI